सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1936 (श०)

संख्या 438 राँची ,मंगलवार

9 सितम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

8 सितम्बर, 2014

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मियों को एल.टी.सी. सुविधा अनुमान्य करने के संबंध में।

संख्या-6/ए.(भत्ता)-01/2012/3211/वि०--छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि॰, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। उक्त संकल्प के द्वारा राज्यकर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान के अलावा महँगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता सहित तथा अन्य भत्ता अनुमान्य किया गया है। किन्तु, केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को पूर्व से अनुमान्य LTC सुविधा में किसी प्रकार का संशोधन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में नहीं किया जा सका है।

2. राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति केन्द्रीय वेतनमान केन्द्रीय सेवाशर्त एवं अन्य सुविधाएँ देने के बिन्दु पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत है तथा राज्य स्तर पर गठित फिटमेंट कमिटी ने भी केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप LTC अनुमान्य करने की अनुशंसा की है।

3. केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को LTC अनुमान्य करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

4. अतः केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को LTC सुविधायें निम्न रूप से अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है:-

(क) केन्द्र सरकार के कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को चार वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार पूरे देश की सीमा के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा अनुमान्य होगी। परन्तु सरकारी सेवकों को पूरे सेवा काल में मात्र दो बार यह सुविधा अनुमान्य होगी।

(ख) LTC के प्रयोजनार्थ यात्रा संबंधी पात्रता, सरकारी दौरे/स्थानान्तरण के समरूप रहेगा। परन्तु LTC पर यात्रा के लिये कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह सुविधा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियत्रंणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निकाय अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक वाहनों द्वारा निष्पादित यात्राओं के संबंध में भी स्वीकार्य होगी।

(ग) LTC के निमित्त परिवार से अभिप्रेत है:-

(i) सरकारी सेवक की पत्नी या पति और दो जीवित अविवाहित संतान अथवा सौतेले संतान जो सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित हो (भले ही वे सरकारी सेवक के साथ रह रहे हो अथवा नहीं) परिवार के सदस्य होंगे।

(ii) सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित विवाहित परन्तु तलाकशुदा/ परित्यक्त या पति से पृथक अथवा विधवा पुत्री परिवार के सदस्य माने जायेंगे।

(iii) माता-पिता और/अथवा सौतले माता-पिता जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो, को LTC के निमित्त परिवार की परिभाषा में इस बात पर ध्यान दिये बगैर शामिल किया जायेगा कि वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं अथवा नहीं। वे सभी माता-पिता और/अथवा सौतले माता-पिता (सौतेले पिता या सौतेली माता) जिनकी सभी स्रोतों से कुल आय केन्द्र सरकार में निर्धारित न्यूनतम पारिवारिक पेंशन और उस पर महँगाई राहत से कम है, इस प्रयोजन हेतु परिवार की परिभाषा में शामिल होंगे।

(iv) सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित माता-पिता अथवा माता पिता के मृत होने पर अविवाहित नाबालिग भाई तथा अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, पति से पृथक, विधवा बहनें (जो सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित हो) परिवार के सदस्य माने जायेंगे।

(घ) LTC से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2668/वि॰ दिनांक 4 अगस्त, 2009 एवं संकल्प संख्या 1508/वि॰, दिनांक 18 जून, 2013 के द्वारा लागू

संशोधित दर प्रभावी होंगे, किन्तु LTC के प्रयोजनार्थ वायुयान से यात्रा उसी शर्त पर अनुमान्य होगी, कि संबंधित कर्मी के लिए अनुमान्य श्रेणी के दर पर ही भुगतान किया जायेगा, अन्तर की राशि उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

(ड़) वैसे स्थान, जहाँ पर सड़क एवं रेल मार्ग से यात्रा संभव नहीं हो वहाँ पर हवाई जहाज द्वारा न्यूनतम बिन्दु से Economy Class में यात्रा की जा सकेगी अथवा स्टीमर से निम्नरूपेण अनुमान्य श्रेणी में यात्रा की जा सकेगी।

Pay Range (Grade Pay)	**Entitlement of class of accommodation**
Officers drawing Grade pay of Rs 5400 and above	First / 'A' Cabin Class
Grade Pay Rs. 4200/- and above, but less than Rs. 5400/-	Second/ 'B' Cabin Class
Grade Pay less than Rs. 4200/-	Bunk Class

(च) वैसे सरकारी, कर्मी जिन्होंने पूर्व के निर्णय के आलोक में LTC सुविधा का उपभोग किया है, वे भी इस प्रावधान के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का उपभोग कंडिका-4(क) के अध्यधीन कर सकेंगे।

(छ) छुट्टी यात्रा रियायत (एल॰टी॰सी॰) की सुविधा राज्य सरकार के अधीन वैसे सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगी, जो यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चूके हैं, यदि अनाधिकृत गैर हाजिर या अन्य कारण से सेवा भंग हुई हो और उसे माफ नहीं किया गया हो, तब उसे एक वर्ष की लगातार सेवा में भी भंग होना माना जायेगा।

5.(i) LTC के लिये ब्लॉक वर्ष की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:-

2006-09, 2010-13, 2014-17.....(ब्लॉक वर्ष की गणना कलेन्डर वर्ष 2006 से प्रारम्भ की जायेगी)। एक ही कलेन्डर वर्ष में LTC एवं HTC दोनों की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(ii) LTC के तहत एक ब्लॉक की रियायत अगले ब्लॉक के पहले वर्ष के आखिर तक ली जा सकती है, जैसे ब्लॉक वर्ष 2010-13 के लिए अनुमान्य LTC के तहत यात्रा दिनांक 31.12.2014 तक शुरू की जा सकती है। वापसी यात्रा इस सीमा के बाहर होगी।

6. छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) का उपभोग करने वाले सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके सेवा इतिहास/सेवापुस्त में इस बात की प्रविष्टि कर दिया जाय कि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा उक्त का उपभोग किया गया है।

7. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

8. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6857/वि॰ दिनांक 13 नवम्बर, 1987 के द्वारा निर्गत लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 में मौजूद प्रावधान एवं समय-समय पर निर्गत सभी पत्रों/परिपत्रों/संकल्प में अंकित प्रावधानों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4252/वि॰(2), दिनांक 22 जून, 2000 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 742/वि॰ दिनांक 23 मार्च, 2006 द्वारा लागू HTC सुविधा पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे तथा इस निमित्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2668/वि॰ दिनांक 4 अगस्त, 2009 एवं संकल्प संख्या 1508/वि॰ दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा स्वीकृत दरें प्रभावी रहेंगे।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3041/वि॰ दिनांक 25 अगस्त, 2014 के क्रम में दिनांक 25 अगस्त, 2014 की बैठक के मद सं॰ 31 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 438–50 ।